



# म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड

(म.प्र. शासन के पूर्ण स्वामित्व में) CIN : U40109MP2001SGC014880

ब्लॉक नं. 02, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) 482008

Tel.:(0761)2702036,2702041,FaxNo.:(0761)2664450 ,e-mail:ce.ca@mptransco.nic.in

C.E. (Procurement)  
M.P.P.T.C.L., Jabalpur

14 JAN 2021

R.No. 8779

क्रमांक अस/एमपीपीटीसीएल/चार/उवेमा/पैनल- 213/ 353

दिनांक 13 JAN 2021

## आदेश

मण्डल के आदेश क्रमांक. 01-05/1/WC/143 दिनांक 19.07.1990 एवं आदेश क्रमांक. 01-07/चार/38 दिनांक 04.11.1995 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित लाईन परिचारकों(कम्पनी संवर्ग) को 09 वर्षीय (प्रथम विकल्प) नियम के तहत उच्चवेतनमान वेतन संवर्ग ई-3, वेतनबैंड-एक में वेतनमान रु.5200-20200/- + ग्रेड वेतन रु. 2300/-पुनरीक्षित 7वे वेतनमान में वेतन रु.21900-69800/-का लाभ उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि इस तिथि पर उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी, एवं वे दण्डावधि में नहीं थे :-

क्र0	कर्मचारी का नाम (सर्व श्री) एवं कर्मचारी संख्या	पदस्थापनास्थल	उच्चवेतनमान स्वीकृति तिथि
1	2	3	4
1	अनूप कुमार गौर 74423459	अउदा-संधा. संभाग, इंदौर	02.07.2020
2	कमलेश मालवीय 74422154	कर्मशाला संभाग सीहोर	01.10.2020
3	कमल सिंह 74322486	अउदा-संधा. संभाग, ग्वालियर	02.07.2020
4	मुकेश मालवीय 74422179	परीक्षण संभाग, ग्वालियर	02.07.2020

आदेशानुसार

मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)

क्रमश:-2...

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य अभियंता (अति.उच्च दाब-निर्माण)/(अति उच्च दाब संधा एवं निरीक्षण)/(परीक्षण एवं संचार),म.प्र. पावर ट्रांस. कं. लिमि., जबलपुर।
2. अधीक्षण अभियंता (अउदा-निर्माण)/(अउदा-संधा)/(परीक्षण एवं संचार), वृत्त, म.प्र. पावर ट्रांस.कं. लिमि. भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर।
3. कार्यपालन यंत्री (अउदा-संधा.)/(कर्मशाला),/(परीक्षण)संभाग, म.प्र.पावर ट्रांस कं लिमि इन्दौर/सीहोर/ग्वालियर।
4. वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी,म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमि. जबलपुर।
5. क्षेत्रीय लेखा कार्यालय, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लिमि., भोपाल/इन्दौर।
6. बेव मास्टर, म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लिमि.,जबलपुर।
7. ईआरपी एडमिनिसेट्रेटर, आईटी-ईआरपी सेल,म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कं.लिमि.,जबलपुर।
8. श्री ..... द्वारा मुख्य अभियंता(अउदा-संधा. एवं निरीक्षण)/(अउदा-निर्माण)/(परीक्षण एवं संचार), म.प्र.पावरट्रांस. कं.लिमि.,जबलपुर।
9. आदेश नस्ती।  
-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आदेश अग्रेषित करने वाले अधिकारी के लिए टीप

- (1) कर्मचारी को समयमान वेतनमान (उच्च वेतनमान) के स्वीकृति की तिथि पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित नहीं थी एवं दण्डावधि में न होना सुनिश्चित होने पर ही आदेश अग्रेषित किया जावे अन्यथा की स्थिति में आदेश टीप के साथ इस कार्यालय को लौटा दिया जावे।
- (2) उपरोक्त कर्मचारी के अन्यत्र स्थानांतरित होने की स्थिति में आदेश को इस कार्यालय को वापस न कर उनके संबंधित कार्यालय प्रमुख को उन्हें अग्रेषित करने हेतु भेजें।

अति. मुख्य अभियंता  
कार्या.-मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं प्रशा.)